भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 567
दिनांक 03 फरवरी, 2026 / 14 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

ई सिगरेट

†567. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ई-सिगरेट बेची जा रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) 12 दिसंबर 2022 से आज तक स्कूलों और कॉलेजों के आसपास दिल्ली पुलिस द्वारा ई-सिगरेट की बिक्री रोकने के लिए कितने आवधिक निरीक्षण किए गए हैं; और
(ग) वर्ष 2019 से आज तक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, 2019 के उल्लंघन के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कितने एफआईआर दर्ज किए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि दिल्ली में ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ई-सिगरेट बेचने का कोई मामला अभी तक उनके संज्ञान में नहीं आया है ।

(ख)12 दिसम्बर, 2022 से 15 जनवरी, 2026 तक दिल्ली पुलिस ने स्कूलों और कॉलेजों के आसपास 13,634 आवधिक निरीक्षण किए हैं ।

(ग) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, 2019 के तहत वर्ष 2019 से 2026 (15.01.2026) तक 39 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 75 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
